148

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2268–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला सागर प्रकरण कमांक 06 बी/113 (2)/वर्ष 14–15

रमेश राव पिता दामोदर राव

निवासी ग्राम जैसीनगर, तहसील

सागर, जिला सागर (म0प्र0) .....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दुष्यन्त कुमार सिंह)
(अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16 अगस्त, 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला सागर के प्रकरण कमांक 06 बी/113 (2)/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की खानदानी भूमियां मौजा जैसीनगर बंदो. न 190 प.ह.न. 183 में स्थित खसरा नम्बर 7 रकवा 7.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकवा 14.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 ररकवा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 469 रकवा 3.390 हैक्टर आवेदक रमेश पिता दामोदर राव के नाम से दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि में हल्का पटवारी द्वारा प्रंबधक कलेक्टर का नाम भी

दर्ज कर दिया है। उपरोक्त भूमियां आवेदक के पिता की खानदानी भूमियां है पूर्व में आवेदक के पिता उक्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी थे, उक्त भूमियां हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है उनकी मृत्यु उपरांत आवेदक को उक्त भूमियां प्राप्त हुई थी जिस पर आवेदक कृषि कार्य कर रहा है। आवेदक की निजी भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से प्रबंधक कलेक्टर के नाम की प्रविष्टि की गई है, उक्त प्रविष्टि को विलोपित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही कर नायब तहसीलदार जैसीनगर के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया, नायब तहसीलदार जैसीनगर द्वारा प्रकरण कमांक 692 बी/121/14–15 दर्ज कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया जाकर दिनांक 20–4–2015 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–5–2015 को उक्त जॉच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर सागर को प्रेषित किये जाने पर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण कमांक 06 बी/113(2)वर्ष 14–15 पंजीवद्ध किया जाकर, आदेश दिनांक 4–8–2015 पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, पूर्व में उक्त भूमियां आवेदक के पूर्वज शंकर राव के स्वत्व की थी, उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सागर के समक्ष सीलिंग प्रकरण कमांक 16 अ/90/1988–89 चला था जिसमें पारित आदेश दिनांक 14–2–1989 के द्वारा उक्त भूमियां आवेदक (रमेश राव) के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की मानी गई थी सीलिंग एक्ट के अंतर्गत उक्त भूमियों को उन्मुक्त किया गया था।

यह तर्क भी दिया गया है कि, उक्त विवादित भूमियां शासकीय रिकार्ड में आवेदक के पूर्वज शंकर राव के स्वत्व की थी शंकर राव के पश्चात उक्त विवादित भूमियों पर आवेदक के पिता रिकार्डेड भूमि स्वामी दर्ज रहे उनकी मृत्यु उपरांत आवेदक विवादित भूमियों का रिकार्डेड भूमिस्वामी दर्ज है। उक्त भूमियां हिन्दु परिवार

की निजी सम्पत्ति है जिस पर वर्ष 1954–55 से 1969–70 के अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है जॉच प्रतिवेदन एवं सीलिंग प्रकरण में उक्त विवादित भूमि आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की मानी गई है। जिस पर प्रबंधक कलेक्टर के नाम का इन्द्राज अवैधानिक रूप से बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर किया गया है।

यह तर्क भी दिया गया कि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आवेदक के पूर्वजो का संहिता के लागू होने के पूर्व उपरोक्त विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में नाम अंकित था जो कि भूमिस्वामी की प्रविष्टि लगभग 80–90 वर्षो से चली आ रही है, और ऐसी प्रविष्टि के साथ आवेदक की सहमति व आवेदक को सूचना सुनवाई का मौका दिये बगैर अन्य किसी की प्रविष्टि साथ में अंकित नहीं की जा सकती है। अंत में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 2011 आर.एन. 273 (उच्च न्याया.), 2012 आर.एन. 362 (उच्च न्याया.), 2013 आर.एन. 390 (उच्च न्याया.), ए.आई.आर. 1961 एस सी 228 का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर सागर के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार जैसीनगर का प्रकरण कमांक 692 बी / 121 / 14–15 अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से कलेक्टर सागर को प्राप्त हुआ। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर ग्राम में इश्तहार जारी किया गया। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में हल्का पटवारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि, ग्राम जैसीनगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7 रकवा 7.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकवा 14.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 ररकवा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 469 रकवा 3.390 हैक्टर भूमि वर्ष

1954–55, 1961–62, 1969–70, 1973–74, में उक्त भूमि आवेदक के पिता दामोदर राव बल्द विष्णु भैया राव के नाम दर्ज थी उक्त भूमि पर कब्जा व आधिपत्य एवं रिकार्डेड भूमिस्वामी वर्तमान में आवेदक रमेश राव है। प्रकरण में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक–24 दिनांक 11–3–15 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि आवेदक के परिवार की संपत्तियां होकर पारिवारिक एंव निजी है। आवेदक द्वारा चकबंदी पट्टा वर्ष 1971, वी–1 नकल, वर्ष 1961–62 में भी आवेदक के पिता दामोदर राव का नाम दर्ज है एवं भू–अधिकार त्रण पुस्तिका भी आवेदक रमेश राव के नाम से बनी है। जिसमें खसरा वर्ष 1954–55 से 1969–70 के अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं है तथा इसके बाद प्रबंधक कलेक्टर किस सक्षम अधिकारी के आदेश से कब दर्ज किया गया है इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है तथा इस प्रकार की प्रविष्टि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही ना होकर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही है।

6/ विचार योग्य बिन्दु यह भी है कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी सागर ने अपने आदेश दिनांक 28–2–1979 के द्वारा आवेदक की उक्त विवादित भूमि को सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत शासन में निहित करने का आदेश दिया गया था। जिसकी अपील आवेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 16 अ/90 वर्ष 88–89 पर दर्ज की जाकर, उक्त विवादित भूमि को आवेदक के संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि होने से एवं आवेदक के परिवार को इससे भी अधिक भूमि धारित करने की पात्रता होने पर अतिरिक्त कलेक्टर सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–2–1989 पारित कर आवेदक की अपील स्वीकार की जाकर, उक्त विवादित भूमि पर सिलिंग एक्ट की कार्यवाही समाप्त की गई।

7– अतः प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, जिला सागर ने अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कमांक 24 दिनांक 11–3–2015, चक बंदी पट्टा वर्ष 1971, भू–अधिकार त्रण पुस्तिका एंव आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 1954–55, 1961–62, 1969–70, 1973–74, की प्रतिलिपियों तथा सिलिंग एक्ट के प्रकरण को अनदेखा

किया जाकर, जो आदेश पारित किया गया है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एंव विधिसम्मत न होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर, कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 06 बी / 113 (2) वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2015 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि, वह शासकीय अभिलेख में प्रकरण में वर्णित भूमि से प्रबंधक कलेक्टर के नाम का इन्द्राज विलोपित कर, आवेदक भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि खसरे में यथावत रखी जाकर राजस्व अभिलेख तद्नुसार दुरूस्त करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर